राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2217/2024

अजीत सिंह यादव **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायत राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. जिला परिषद, जयपुर जरिये मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
3. बीडीओ एवं प्रोग्राम अधिकारी, पंचायत समिति जालसू, जिला जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 08.07.2024

आदेश की दिनांक : 05.09.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री राजेश कुमार निगम, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 27.06.2024 एवं 01.06.2024 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को निलंबन से बहाल करते हुए कनिष्ठ सहायक के पद पर पंचायत समिति जालसू, जयपुर में निरंतर कार्य करने के निर्देश फरमाये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन कनिष्ठ सहायक के पद पर पंचायत समिति, जालसू, जयपुर में कार्यरत है। हाल ही अपीलार्थी निलंबित है। उनका कथन है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 27.06.2024 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा नियम (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), 1958 के नियम 13(1) के अंतर्गत निलंबित किया गया है और जिला स्थापना समिति की बैठक दिनांक 26.06.2024 के बिंदु संख्या 6 की पालना में अपीलार्थी को निलंबित किया गया है। अपीलार्थी को कोई नोटिस नहीं दिया गया और बिना सुनवाई का मौका दिये अपीलार्थी को निलंबित कर दिया गया है। जबकि अपीलार्थी की सेवायें निरंतर संतोषजनक रही हैं। अपीलार्थी को दिनांक 01.03.2024 वर्तमान पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित किया गया और मात्र 4 माह की अवधि में ही निलंबित कर दिया गया। उसका कभी दुर्व्यवहार नहीं रहा, न ही कोई शिकायत रही। फिर भी अपीलार्थी को निलंबित कर दिया गया, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 27.06.2024 एवं 01.06.2024 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को निलंबन से बहाल करते हुए कनिष्ठ सहायक के पद पर पंचायत समिति जालसू, जयपुर में निरंतर कार्य करने के निर्देश फरमाये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी द्वारा माननीय लोकायुक्त के समक्ष दर्ज कराये गये परिवादों में स्वयं का सरकारी कर्मचारी होने का तथ्य छुपाने के संबंध में उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जाने हेतु निर्देशित किये जाने पर जिला स्थापना समिति के बिंदु संख्या 6 की पालना में निलंबित किया जाकर मुख्यालय पंचायत समिति, विराट नगर किया गया है। अपीलार्थी का निलंबन विहित प्रक्रिया अपनाते हुये नियमानुसार किया गया है, जिसमें किसी प्रकार के कोई नियमों का उल्लंघन नहीं है। निलंबन आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा नियमानुसार जारी किया गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन कनिष्ठ सहायक के पद पर पंचायत समिति, जालसू, जयपुर में कार्यरत है। हाल ही अपीलार्थी निलंबित है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 27.06.2024 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा नियम (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील), 1958 के नियम 13(1) के अंतर्गत निलंबित किया गया है और जिला स्थापना समिति की बैठक दिनांक 26.06.2024 के बिंदु संख्या 6 की पालना में अपीलार्थी को निलंबित किया गया है। अपीलार्थी को कोई नोटिस नहीं दिया गया और बिना सुनवाई का मौका दिये अपीलार्थी को निलंबित कर दिया गया है। जहां तक अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक 27.06.2024 के द्वारा निलंबित किये जाने का प्रश्न है, आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आदेश विहित प्रक्रिया को अपनाते हुये नियमानुसार जिला स्थापना समिति की बैठक दिनांक 26.06.2024 बिंदु संख्या 6 की पालना में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नियम, 1958 के नियम 13(1) के अंतर्गत अपीलार्थी को निलंबित किया गया है, जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार की विधि एवं नियम विरूद्धता नहीं पाते हैं। अपीलार्थी को निश्चित समयावधि के अंदर आरोप पत्र भी दिया जा चुका है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य